सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

वाद संख्या 3381 / 1131 / 2015 दिनांक 07.07.2017

श्री राजेन्द्र तिवारी,
पुत्र – श्री प्रकाश तिवारी,
निवासी–पटेल नगर, गोण्डा (उत्तर प्रदेश)–271001 ... शिकायतकर्ता

बनाम

इलाहाबाद बैंक
(द्वारा – मुख्य प्रबन्धक)
मण्डलीय कार्यालय, गोण्डा (उत्तर प्रदेश) .... प्रतिवादी संख्या 1

इलाहाबाद बैंक
(द्वारा – अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक)
प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता – 700001 (पश्चिमी बंगाल) .... प्रतिवादी संख्या 2

सुनवाई की तिथि – 14.02.2017

उपस्थित –

1. श्री आयुष कुमार, प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक और श्री अशोक आनन्द, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से
2. शिकायतकर्ता अनुपस्थित।

आदेश

शिकायतकर्ता, अस्थिबाधित व्यक्ति ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक की गोण्डा शाखा द्वारा प्रस्तावित ऋण प्रदान न करने से सम्बन्धित शिकायत पत्र दिनांक 15.12.2014 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवँ पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसको यहाँ इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि वह अपने परिवार के जीवन निर्वाह हेतु फर्नीचर बनाने की दुकान विगत पाँच वर्षों से गोण्डा जिले के नवाबगंज विकास खण्ड स्थित कस्बा मुहल्ला पड़ाव नवाबगंज में चला रहा है। दुकान में पूँजी लगाने हेतु पैसों की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता का बचत खाता संख्या 20281691778 इलाहाबाद बैंक के मुख्य शाखा गोण्डा में पिछले बीस वर्षों से संचालित है। शिकायतकर्ता ने ऋण हेतु ऋण पत्रावली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के उक्त शाखा में जमा करवाई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबन्धक ने फोन करके बुलवाया और कहा कि वे इस प्रकार का ऋण नहीं

करते और डाँटकर भगा दिया। शिकायतकर्ता ने इस न्यायालय से निवेदन किया कि यदि उनका ऋण स्वीकृत नहीं होता है तो अपने परिवार की आजिविका चलाने में असमर्थ होगा।

3. अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 06.04.2015 के द्वारा प्रतिवादीगण के साथ उठाया गया।

4. प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्र दिनांक 13.04.2015 के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया और यह सूचित किया कि शिकायतकर्ता की दुकान मेसर्स तिवारी कास्ट कला उद्योग ग्राम पड़ाव में स्थित है जो उनके बैंक शाखा से 35–40 किलामीटर दूर है। शिकायतकर्ता को भली–भाँति यह सूचित कर दिया गया था कि ऋण की परिसम्पत्तियों की जाँच व निगरानी की समस्या के कारण, उनके शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत करना न्यायोचित/सम्भव नहीं है, जबकि इलाहाबाद बैंक की एक शाखा नवाबगंज कस्बे में पहले से ही कार्यरत/स्थित है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए उत्तर में शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 21.07.2015 के द्वारा यह सूचित किया कि बैंक द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। कस्बा नवाबगंज में इलाहाबाद बैंक की कोई शाखा नहीं है सिर्फ एक ग्राहक सेवा केन्द्र है। इलाहाबाद बैंक की अन्य दो शाखाएँ चंदापुर तथा वजीरगंज में स्थित हैं जो क्रमशः 8 तथा 12 किलोमीटर दूर हैं। वजीरगंज शाखा प्रबन्धक के अनुसार उनकी सारी शक्तियाँ अभिग्रहित होने के कारण वे ऋण स्वीकृत करने में असमर्थ हैं। चंदापुर शाखा किसी सरकारी अनुदान वाली योजना के लिए ऋण नहीं करते। शिकायतकर्ता ने पुनः सूचित किया कि हर बार, जब वे मुख्य शाखा में वार्तालाप हेतु जाते हैं तो उनके साथ अभद्र तरीके से बात की जाती है तथा बैंक कर्मियों की भाषा एवं व्यवहार शिष्ट नहीं होता है। शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा अथवा चंदापुर अथवा वजीरगंज शाखा से ऋण दिलाने हेतु निवेदन किया।

6. शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर इस न्यायालय के पत्र दिनांक 14.10.2016 के द्वारा मुख्य प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा गोण्डा को उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

7. मुख्य प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मण्डलीय कार्यालय, गोण्डा ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2016 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तर के अतिरिक्त यह सूचित किया कि नवाबगंज में ग्रामीण बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ पहले से ही संचालित है जहाँ कि यूनिट प्रस्तावित है और वह स्थान उनके वजीरगंज व चंदापुर शाखाओं से भी दूर है व नवाबगंज में इलाहाबाद बैंक की कोई शाखा नहीं है। आवेदनकर्ता चाहें तो सम्बन्धित सेवाक्षेत्र के अन्तर्गत इन बैंकों में आवेदन कर सकते है।

8. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर और शिकायतकर्ता के प्रत्युत्तर के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई की तिथि 14.02.2017 सुनिश्चित की गई।

9. सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि शिकायतकर्ता को रूपये चार लाख पचास हजार का ऋण इलाहाबाद बैंक, शाखा गोण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया है जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं। अपने कथन की पुष्टि में प्रतिवादीगण के प्रतिनिधियों ने

बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र दिनांक 09.02.2017 तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 09.02.2017 और शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा गोण्डा को सम्बोधित संतुष्टि पत्र दिनांक 10.02.2017 की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत किए।

10. सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के आलोक में यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण प्रतिवादीगण द्वारा किया जा चुका है। अतः इस मामले में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में बैंक कर्मी दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशील रहें ताकि दिव्यांगजन के वैध अधिकारों का हनन् न हों।

11. तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन